



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  
INSURANCE REGULATORY AND  
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

अनुसूची I - फार्म एल  
(विनियम 14(8) देखें)  
Schedule I - Form L  
(See Regulation 14(8))

(बीमा दलाल) विनियम, 2018  
(Insurance Brokers) Regulations, 2018

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र  
CERTIFICATE OF RENEWAL OF REGISTRATION

पंजीकरण संख्या Registration No.: 262

1. मेसर्स एफ्रो-एशियन इश्योरेंस & रिइश्योरेंस ब्रोकर्स (इंडिया) प्रा. लि. सम्मिश्र  
दलाल का पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14 तथा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन इसके द्वारा नवीकृत किया जाता है।

The Certificate of Registration of M/s. Afro Asian Insurance & Re-Insurance Brokers (India) Pvt. Ltd. Category Composite Broker is hereby renewed under Regulation 14 of the IRDAI (Insurance Brokers) Regulations, 2018 and the Insurance Act, 1938 (4 of 1938)

2. हैदराबाद में 20 दिन मई (माह) दो हजार उन्नीस को जारी किया गया।

Issued at Hyderabad on 20<sup>th</sup> day of May Two Thousand Nineteen

3. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र 18.05.2019 से 17.05.2022 तक विधिमान्य होगा।

This Certificate of Registration shall be valid from 18.05.2019 to 17.05.2022

4. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा।

This Certificate of Registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars, & Directions issued by the Authority from time to time

स्थान Place: हैदराबाद / Hyderabad

दिनांक Date: 20.05.2019

आदेशानुसार

By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के लिए और उनकी ओर से  
For and on behalf of Insurance Regulatory and Development Authority of India